

किस्म मुकदमा हंजा १२ बनाम देवबिंद
रापाला वा ५ प्रकरण संख्या 155/14

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नम्बर अदालत हुक्म में

वादी नया वादकाल पा नया वाद
 प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित
 रखते हुए वाद पारिये पिडो ल
 खारिज प्रामाया जावे। हमने
 प्रमाण का अवलोकन किया वादी के कले
 को सुना गया वादी ~~का अधिकार~~
 द्वारा उक्त वाद चलाना नहीं चाहते है
 अतः वादी का वाद पारिये पिडो खारिज
 किया जाता है। मिसल केवल शुमार
 छेक नम्बर से कम हो।
 निर्णय आज दिनांक 4.4.2018 को सुने
 न्यायालय सुनाया गया।

हयाथ देवबिंद, जसवंतपुर
 बिला-जालोर (राज.)